न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

<u>मुन्तकिली प्रकरण संख्या 89/2023 (GCMS : 2023/126)</u>

1. **कलवन्त कौर** पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **चरणजीत सिंह** पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. **जगदीप सिंह** पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. **दलविन्द्र सिंह** पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. **विरेन्द्र सिंह** पुत्र जगपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. **सुखदीप कौर** पत्नी जगपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. **सुरेन्द्र सिंह** पुत्र जगपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 13 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

<u>बनाम</u>

1. **सविश खुराना** पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी 2–ए, 35 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर
2. **बलविन्द्र खुराना** पुत्र बनवारी लाल जाति अरोड़ा निवासी 36 एच ब्लॉक, श्रीगंगानगर
3. **स्टेट ऑफ राजस्थान**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>11.03.2024</u>

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री भीमसेन एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 66/2023 अनवानी सविश खुराना बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान करश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:41:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को खारिज किया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 66/2023 अनवानी सविश खुराना बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.03.18 16:41:21 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर